न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2021/52/225

1. घमला पुत्री काना पत्नी श्रीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तिहारी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. काना पुत्र हीरा,
2. सुरज्ञान पुत्री काना,
3. हरिराम पुत्र रामकरण,
4. ग्यारसी पत्नी रामदयाल
5. हंसराज पुत्र छगना,
6. छगना पुत्र हीरा,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम तिहारी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
8. उप पंजीयक श्रीनगर उप तहसील श्रीनगर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 27.1.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 56/2020.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 6 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 व 8.

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 27.1.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 5 हंसराज ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद संख्या 145/2019 अंतर्गत धारा 53, 88, 188 के साथ अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष पेश किया । इस वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 95/2019 भी पेश किया जिसमे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है अतः दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी हंसराज की प्रार्थना पत्र बहस सुनकर दिनांक 10.12.2019 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत कर दी । तत्पश्चात्

प्रार्थी ने दिनांक 19.10.2020 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज करवा लिया तथा वादग्रस्त आराजियात में से कुछ हिस्सा बिना बंटवारा कराये ही दूलाराम पुत्र सकराम को बेचान कर दिया । अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा पेश दावे में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया साथ में अलग से धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020 दिनांक 23.1.2020 को पेश किया था । दिनांक 23.10.2020 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधी0न्याया0 ने मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये व पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.11.2020, 2.12.2020, 12.1.2021 नियत की । उक्त प्रार्थना पत्र में बिना शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश हुए ही केवल मात्र मूल वाद में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने के आधार पर पत्रावली में दिनांक 6.1.2021 तारीख पेशी नियत कर प्रार्थना पत्र में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली में आगामी तारीख दिनांक 12.1.2021 नियत की तथा दिनांक 12.1.2021 को पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने के कारण पत्रावली में दिनांक 27.1.2021 तारीख नियत की गई । दिनांक 27.1.2021 को अधी0न्याया0 ने आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये व आदेश पारित किये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के के पक्षकारान को दावे में पक्षकार बनाने का अंकन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.10.2020 को जारी रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् जारी स्थगन आदेश को रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के हिस्से तक अप्रभावी रहने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 मे आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा केवल विचाराधीन राजस्व वाद में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली तलब की गई थी । उक्त दावे के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की पत्रावली को भी दिनांक 6.1.2021 को नियत कर उक्त पत्रावली में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । दिनांक 18.1.2021 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से उक्त पत्रावली में दिनांक 27.1.2021 नियत की गई । दिनांक 27.1.2021 को अधी0न्याया0 ने अपीलार्थिया को आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का जवाब का अवसर प्रदान किये बिना तथा बहस सुने बिना ही कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश 1 नियम 10 के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.10.2020 में गैर कानूनी रूप से संशोधन करने का आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 5 ने अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताकर अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 का वाद पेश किया था व उक्त दावे के साथ रेस्पो0 संख्या 5 ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.12.2019 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे । उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 95/2019 को रेस्पो0 संख्या 5 ने दिनांक 19.10.2020 को नोट प्रेस में खारिज करवा कर वादग्रस्त आराजी में से

बिना बंटवारा कराये ही कुछ हिस्से को अजनबी क्रेता को बैचान किया है। अजनबी क्रेता द्वारा केवल दावे में पक्षकार बनने के आधार पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया है । उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पर अधिवक्ता की बहस सुनकर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 23.10.2020 को जारी स्थगन आदेश में संशोधन करने में अधी0न्याया0 ने विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 का किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है एव ना ही स्थगन आदेश दिनांक 23.10.2020 बाबत् अपनी आपत्ति ही पेशी की थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अजनबी क्रेता जो कि उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नही था केवल पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश कर देने मात्र से ही व दावे में पक्षकार बनने को आधार बताकर आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर पूर्व आदेश में संशोधन करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.2021 को निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आरातजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 व 8 ने बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपील का निस्तारण किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रार्थिया ने रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत वाद में जवाबदावा मय काउन्टर वाद एवं प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी पुश्तैनी आराजियात है जिसमें प्रार्थिया एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पिता काना का भी जमाबंदी दर्ज अनुसार हक व हिस्सा दर्ज है । विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 का भी उनके पिता काना की आराजियात में हक व हिस्सा निहित है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात का बैचान, हस्तातंरण करन अपीलांट को उसके हिस्से से महरूम करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.10.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेश तक पेश करे । तत्पश्चात् अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा ने मूल वाद की पत्रावली तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली दिनांक 6.1.2021 को तलब किये जाने पर अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने अपने हिस्से का बेचान दूलाराम को कर दिया है अतः दूलाराम को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.1.2021 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के हिस्से तक अप्रभावी रहने बाबत् आदेश पारित किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में अपीलांट के पिता काना पुत्र हीरा का अन्य

खातेदारों के साथ जमाबंदी दर्ज हिस्सेनुसार हक व हिस्सा दर्ज है । विवादित आराजियात पक्षकारान की की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात होकर अविभाजित है । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य एवं सुनवाई उपरांत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र नवीन पक्षकार के निवेदन पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.10.20 को अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की हद तक अप्रभावी करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.2021 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 56/2020 में पारित आदेश दिनांक27.1.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे, तब तक अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट को उसके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर